नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील जारी हुए

(6)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/28/2018	04-04-2018	18-07-2019

1- जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह उर्फ भोला सिंह उर्फ पोला सिंह जाति सिख निवासी ग्राम मेवखेड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान (मृतक)

1/1. रानी पुत्री स्व0 श्री जोगेन्द्र सिंह पत्नी श्री योगेश कुमार जाति सिख निवासी हाउस नंबर 7573 वार्ड नं0 7 मस्जीद के पास, पर्वतीया कॉलोनी फरीदाबाद सैक्टर नं0 22 फरीदाबाद (हरियाणा)- 121005

-अपीलान्ट

बनाम

1- मलकीत सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह जाति सिख निवासी ग्राम मेवखेड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

2- तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0।

-रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ सनद नं0 9/27 दिनांक 29.05.1978

उपस्थितः-

01. श्री आशीष खण्डेलवाल -वकील अपीलान्ट
02. देवेन्द्र कुमार जैन -वकील रैस्पोडेन्ट्स

-:: निर्णय ::-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 29.05.1978 सनद नं0 9/27 को खिलाफ मौका एवं रिकॉर्ड करने से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पट्टा संख्या 9/27 दिनांक 29.05.1978 को जारी किया गया। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.02.2016 को हुई, जब रैस्पो0 ने मिन अपीलांट को कब्जे काश्त में रूकावट की गई तथा रैस्पो0 ने बताया कि उसने उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी का पट्टा हासिल कर लिया है। जिस पर मिन अपीलांट ने तहसील कार्यालय रामगढ़ में नकल आवेदन पेश कर दिनांक 01.03.2016 को नकल प्राप्त की गई। लेकिन आदेश की नकल नहीं मिल पायी। उक्त अपील में जो देरी हुई उसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत अलग से प्रा0पत्र पेश किया गया है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 200, 248, 269, 271, 285, 296, 306, 315, 377, 394, 431, 433, 434, 475, 476 वाके ग्राम मेवखेड़ा तहसील रामगढ के मिन अपीलांट व अपीलांट के भाई उजागर सिंह रैस्पो0 संख्या 1 बहिस्सा बराबर के गैर खातेदार काश्तकार है। साबिक आराजी के हाल खसरा नम्बर 244 रकबा 10 ऐयर, 315 रकबा 1 ऐयर, 316 रकबा 34 ऐयर, 324 रकबा 35 ऐयर, 343 रकबा 47 ऐयर, 346 रकबा 5 ऐयर, 350 रकबा 45 ऐयर, 434 रकबा 20 ऐयर, 476 रकबा 18 ऐयर, 515 रकबा 23 ऐयर, 577 रकबा 1.04 है0, 650 रकबा 11 ऐयर, 657 रकबा 64 ऐयर ग्राम मेवखेड़ा तहसील रामगढ़ कायम किये गये। उक्त आराजी अपीलांट व रैस्पो0 के पिता उजागर सिंह को विधिवत् अलोट की गई थी। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवत् 2020

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

एवं 2032 से स्पष्ट है। रेस्पो0 संख्या 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है। जिसने बिना अधिकार के रैस्पो0 संख्या 2 से साज–बाज होकर समस्त आराजी का पट्टा 9/27 दिनांक 29.05.1978 प्राप्त कर लिया। जिस पर उनका किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं था। जबकि अपीलाधीन आराजी में 1/2 भाग मिन अपीलांट व 1/2 भाग रेस्पो0 संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। इस प्रकार रैस्पो0 1 के नाम जो पट्टा जारी किया गया, वह विधि विरूद्ध है। मिन अपीलांट के 1/2 भाग से रैस्पो0 1 व उसके पिता का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। मिन अपीलांट आज भी अपने 1/2 हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। रैस्पो0 उक्त पट्टे की आड़ में मिन अपीलांट को उसकी खातेदारी से जबरन बेदखल करने को उतारू है। अपीलाधीन आराजी का पट्टा जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो किसी प्रकार की जांच कराई गई और ना ही मौके की रिपोर्ट तलब की गई तथा गैरकानूनी तरीके से पट्टा जारी किया गया है। जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.07.2019 को आदेश 06 नियम 17 का प्रा0पत्र पेश किया गया। जिसमें आवंटन संख्या 9/27 की जगह 10/27 पढने का निवेदन किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर रैस्पो0 संख्या 1 पक्ष में पट्टा संख्या 9/27 दिनांक 29.05.1978 आराजी साबिक खसरा नम्बर 200, 248, 269, 271, 285, 296, 306, 315, 377, 394, 431, 433, 434, 475, 476 वाके ग्राम मेवखेड़ा तहसील रामगढ जिसके हाल खसरा नम्बर 244 रकबा 10 ऐयर, 315 रकबा 1 ऐयर, 316 रकबा 34 ऐयर, 324 रकबा 35 ऐयर, 343 रकबा 47 ऐयर, 346 रकबा 5 ऐयर, 350 रकबा 45 ऐयर, 434 रकबा 20 ऐयर, 476 रकबा 18 ऐयर, 515 रकबा 23 ऐयर, 577 रकबा 1.04 हे0, 650 रकबा 11 ऐयर, 657 रकबा 64 ऐयर ग्राम मेवखेड़ा तहसील रामगढ़ जारी किया गया है। वह आदेश एवं पट्टा मिन अपीलांट के हद तक निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 1 द्वारा जवाब प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि रैस्पो0 1 के नाम बन्दोबस्त सवत् 2020 के साबिक खसरा नम्बर 154, 198, 463, 218, 219, 457, 453, 448, 225, 298, 395, 329, 328 वाके ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ़ पट्टा संख्या 10/27 दिनांक 29.05.1978 को रैस्पो0 1 का कब्जा होने के कारण व उसके पिता को आवंटित होने के कारण जारी किया। उपरोक्त आराजी के बन्दोबस्त सवत् 2020 के हाल खसरा नम्बर 200, 285, 248, 269, 271, 296, 306, 315, 377, 394, 431, 433, 434, 475, 476 है। जिसका मिलान क्षेत्रफल प्रा0पत्र के साथ प्रस्तुत है। रैस्पो0 सं0 1 के पक्ष में उपरोक्त आराजी का पट्टा संख्या 9/27 दिनांक 29.05.1978 जारी नहीं हुआ है। बल्कि पट्टा संख्या 10/27 दिनांक 29.05.1978 जारी हुआ है। पट्टा संख्या 10/27 का इंतकाल संख्या 86 दिनांक 05.06.1978 को रैस्पो0 1 के पक्ष में स्वीकार हुआ है। इंतकाल संख्या 86 की जानकारी अपीलांट को दिनांक 16.04.2014 को हो गई और यह भी जानकारी हो गई कि इंतकाल सं. 86 पट्टा संख्या 10/27 दिनांक 29.05.1978 से दिनांक 03.06.1978 को पटवारी हल्का द्वारा मलकीत सिंह रैस्पो0 संख्या 1 नाम दर्ज कर दिया गया और दिनांक 05.06.1978 को स्वीकार हो गया। इंतकाल संख्या 86 की अपील अपीलांट द्वारा उपजिलाधीश रामगढ के यहां दिनांक 25.02.2016 को प्रस्तुत की है। जिस अपील के साथ अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम को शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। जो आज भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के यहां विचाराधीन है। अपीलांट ने न्यायालय श्रीमान में पट्टा संख्या 9/27 दिनांक 29.05.1978 की अपील प्रस्तुत की है। पट्टा संख्या 10/27 दिनांक 29.05.1978 की जानकारी अपीलांट को दिनांक 16.04.2014 से ही है। अपीलांट द्वारा पट्टे की जानकारी दिनांक 28.10.2016 को होना गलत अंकित किया है। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है, जो इसी आधार पर खारिज योग्य है। यहां न्यायालय को यह अवगत कराया जाना अतिआवश्यक है कि अपीलांट का पिता नारायण सिंह नहीं है और ना ही नारायण सिंह का भोला सिंह उर्फ पोला सिंह उपनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

गा। अपीलांट के पिता का नाम भोला सिंह है। अपीलांट जोगेन्द्रसिंह का देहांत अभी–अभी हुआ है जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी हुआ है। उसमें उसकी वल्दीयत भोला सिंह है। यदि अपीलांट के पिता नारायण सिंह होता या नारायण सिंह का उपनाम भोला सिंह उर्फ पोला सिंह होता तो मृत्यु प्रमाण–पत्र में उसकी वल्दीयत भी उसी तरह होनी चाहिए थी। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने रैस्पो0 1 की आराजी को हडपने के लिये अपने पिता का नाम नारायण सिंह उर्फ भोला सिंह उर्फ पोला सिंह प्रस्तुत किया है। रैस्पो0 1 के पिता उजागर सिंह उर्फ जागर सिंह के पिता का नाम नारायण सिंह है। अपीलांट को इंतकाल सं0 86 दिनांक 16.04.2014 से हो गई, की पट्टा संख्या 10/27 दिनांक 29.05.1978 को रैस्पो0 1 के नाम से जारी हुआ है। अपीलांट को प्रथम जानकारी दिनांक 16.04.2014 के एक माह के अन्दर अपील पेश करनी चाहिए थी। जो नहीं की गई। इसलिए अपील मियाद बाहर है। अपीलांट नारायण सिंह का पुत्र नहीं है, उसको अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही न्यायालय श्रीमान को अपील सुनने का अधिकार है। अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ में विवादित आराजी के संबंध में रैस्पो0 1 के खिलाफ घोषणात्मक वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जो आज भी विचाराधीन है। पट्टे की अपील एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जबकि वाद पत्र में पक्षकारों के अधिकार तय किये जाने है। इसलिए अपील निरस्त योग्य है। बन्दोबस्त संवत् 2020 में अपीलांट जो कि भोला सिंह का पुत्र है, ने कर्मचारियों से मिलकर उजागर सिंह उर्फ जागर सिंह के साथ अपने नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करा लिया। बन्दोबस्त विभाग द्वारा बन्दोबस्त से पूर्व राजस्व रिकार्ड के आधार पर बन्दोबस्त रिकार्ड तैयार करना चाहिए था। रैस्पो0 1 का अपने पिता उजागर सिंह उर्फ जागर सिंह की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। रैस्पो0 1 उजागर सिंह उर्फ जागर सिंह का दत्तक पुत्र है जो उजागर सिंह के खास भाई कर्मसिंह का लड़का है। नारायण सिंह के पांच लडके थे। जिन पांचों लडको को पाकिस्तान से भारत आने पर कृषि आराजी ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ में आवंटित हुई। उजागर सिंह पुत्र नारायण सिंह ने ग्रम ललावण्डी में अपनी आवंटित आराजी का मौखिक रूप से ग्राम मेवंखेड़ा के जोधाराम से तबादला कर लिया। उजागर सिंह ग्राम मेवखेडा जोधाराम की आवंटित आराजी पर और जोधाराम ग्राम ललावण्डी में उजागर सिंह की आवंटित आराजी पर काबिज हो गये। उसके अन्य भाई कर्मसिंह, धर्मसिंह, लक्ष्मण सिंह और करतार सिंह को ललावण्डी में अलग–अलग जमीन आवंटित हुई। अपीलांट रैस्पो0 1 के मृतक पिता उजागर सिंह उर्फ जागर सिंह का भाई नहीं है और ना ही अपीलांट को ग्राम मेवखेडा में जमीन आवंटित हुई है। रैस्पो0 1 फौज में नौकरी करता था। जब वह सेवा में था तो रैस्पो0 1 के पिता उजागर सिंह मेवखेडा में अकेले रहते थे। उजागर सिंह की पत्नी का देहांत लगभग सन् 1950 में हो गया था। उनके कोई औलाद नहीं होने के कारण रैस्पो0 1 को उजागर सिंह उर्फ जागर सिंह को गोद ले लिया था। रैस्पो0 1 नौकरी में जाने से पूर्व अपने पिता के साथ रहता था और उनकी सेवा करता था। अपीलांट उजागर सिंह के भाई करतार सिंह का साला है। अपीलांट रैस्पो0 1 के चाचा नहीं है और नाही मृतक उजागर सिंह उर्फ जागर सिंह से उसका कोई संबंध है। वास्तविकता में अपीलांट भोला सिंह का लडका है। जो मेवखेडा का निवासी भी नहीं है। अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमायी जावें। रैस्पो0 1 द्वारा जवाब के समर्थन में नजिर 2017(1) आरआरटी पेज 571, 2017(1) आरआरटी पेज 117, 2017(1) आरआरटी पेज 264, 2017(1) आरआरटी पेज 711 एवं 2018(1) आरआरटी पेज 188 पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 29.05.1978 की जानकारी दिनांक 28.02.2016 को होना बताया गया है तथा अपील दिनांक 14.03.2016 को पेश की गई है। जबकि वकील रैस्पो0 1 द्वारा पेश उपखण्ड न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

रामगढ में विचाराधीन अपील संख्या 1/28/2016 उनवान जोगेन्द्र सिंह बनाम मलकीत सिंह की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की पालना में दर्ज इंतकाल संख्या 86 दिनांक 05.06.1978 की जानकारी दिनांक 16.04.2014 को होना जाहिर किया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 28.02.2016 को नहीं होकर बल्कि दिनांक 16.04.2014 को हो गई थी। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को स्पष्ट करने हेतु अपीलांट द्वारा पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है। अपील मियाद बाहर होकर खारिज योग्य है। वकील अपीलांट द्वारा पूर्व अपीलांट की मृत्यु पर विधिक प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान अपीलांट को प्रतिस्थापित करने हेतु वारिस के रूप में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वर्तमान अपीलांट पूर्व मृतक अपीलांट की विधिक वारिस हो। वकील अपीलांट द्वारा पेश किया गया प्रा0पत्र आदेश 06 नियम 17 अपील का निर्णय करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। अतः प्रा0पत्र आदेश 06 नियम 17 खारिज किया जाता है। वकील रैस्पो0 1 द्वारा पेश की गई नजिर उक्त अपील पर पूर्णतया चस्पा होती है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, उभय–पक्ष के कथन, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, विद्वान अभिभाषकगण की बहस के आधार पर अपील प्रथमदृष्टया (Prima facie) न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगढ़ को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18–07–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/07/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)